न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 40 / 2010 दिनांक 29.12.2020

– :: संशोधित निर्णय ::–

उनवान

1.नारायणदास पिता देवी दास जाति बैरागी नि0 सूरजपुरा तह भदेसर मृतक के बजाय

1/1 कालूदास पिता नारायण दास जाति बैरागी आयु 51 साल नि0 सूरजपुरा तह0 भदेसर।

1/2 भेरूदास पिता नारायण दास जाति बैरागी आयु 47 साल नि0 सूरजपुरा तह0 भदेसर।

1/3मु0 सुंदर दाई बेवा नारायण दास जाति बैरागी आयु 51 साल नि0 सूरजपुरा तह0 भदेसर।

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. भगवानदास पिता हिरादास जाति बैरागी आयु 45वर्ष नि0 सूरजपुरा मृतक के बजाय।

1/1 नारायण बाई बेवा भगवानदास आयु 65 वर्ष नि0 सांवरिया जी।

1/2 प्रभुदास पिता भगवानदास आयु 37 वर्ष नि0 सांवरिया जी।

1/2/1 सुशीला बेवा प्रभुदास जाति बैरागी आयु 37 साल पेशा खेती नि0 मण्डफिया।

1/2/2 पुष्कर पिता प्रभुदास जाति बैरागी उम्र वयस्क नि0 मण्डफिया।

1/2/3 कविता पुत्री प्रभुदास जी जाति बैरागी आयु 17 साल जरिये सरपरस्त माता सुशीला बेवा प्रभूदास जी बैरागी नि0 मण्डफिया

1/3 महावीर दास पिता भगवानदास आयु 30 वर्ष नि0 सांवरिया जी।

1/4 पप्पूदास पिता पिता भगवानदास आयु 25 वर्ष नि0 सांवरिया जी।

1/5 श्यामुदास पिता भगवानदास पिता जगदीश दास आयु 34 साल नि0 सांवरियाजी हाल मुकाम वल्लभनगर जिला उदयपुर।

2. मगनदास पिता हीरादास जाति बैरागी आयु 45 वर्ष नि0 सूरजपुरा तह0 भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

2/1 अणछी बाई बेवा मगनदास जी आयु 45 साल पेशा खेती नि0 मण्डफिया।

2/2 संतोष पुत्री मगनदास पत्नि हेमराज जी जाति बैरागी आयु 30साल नि0 आकोलगढ़ तह भदेसर।

2/3 ऊंकारदास पिता मगनदास जाति बैरागी आयु 28 साल नि0 सांवरियाजी तह भदेसर।

2/4 रेखा पुत्री मगनदास जाति बैरागी आयु 26 साल नि0 उदयपुरा तह भदेसर

2/5 मु0 कुस्वा पुत्री मगनदास जी जाति बैरागी आयु 24 साल नि0 उठेलखेडा तह0 भदेसर।

2/6 विक्रमदास पिता मगनदास जाति बैरागी आयु 22 साल नि0 सांवरियाजी तह भदेसर।

2/6/1 अणछी बाई बेवा मगनदास आयु 53 साल नि0 सांवरिया तह भदेसर मृतक की माता

2/6/2 विद्या बेवा विक्रमदास उम्र 21 साल निवासी सांवरियाजी तह भदेसर मृतक की पत्नि

2/6/3 गुड्डी पुत्री विक्रम दास आयु 6 माह नि0 सांवरियाजी जरिये सरपरस्त माता विद्या बेवा विक्रम दारा नि0 सांवरियाजी तह भदेसर।

3. सुरेशदास पिता घासीदास बैरागी आयु 28 साल नि0 सूरजपुरा तह0 भदेसर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53 रा0 का0 अधि0

उपस्थित– श्री फारूख मोहम्मद वकील वादीगण

श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया वकील प्रतिवादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 53, के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि:--

1. यह कि वाके मौजा सूरजपुरा पटवार हल्का मण्डफिया तह0 भदेसर में निम्न आराजीयात स्थित है। खाता सं0 25 की आ0नं0 152 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा लगानी 2.75 रू, आ0नं0 167/2 रकबा 3 बीघा लगानी 37 पैसे कुल कीता 2 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा लगानी 3.12 रू। खाता सं0 26 की आ0नं0130/1 रकबा 3 बिस्वा आराजी चाह आ0नं0 130/2 रकबा 1 बिस्वा लगानी 31 पैसे,आ0नं0 124 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा लगानी 5 रू 69 पैसे, आ0नं0 133 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा लगानी 87 पैसे, आ0नं0 134 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

लगानी 1 रू 94 पैसे, आ0नं0 155 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा लगानी 44 पैसे, आ0नं0 156 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा लगानी 1रू 88 पैसे, आ0नं0 159 रकबा 1 बीघा लगानी 56 पैसे कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा कुल लगानी 11 रू 69 पैसे स्थित है।

2. यह कि उपरोक्त आराजीयात वादी के पिता देवीदास पिता नवलदास बेरागी निवासी सूरजपुरा तहसील भदेसर की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। वादी के पिता की मृत्यु हुई तब वादी अपनी माता मोतिया पुत्री गंगाराम जी के गर्भ में था और वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी पेदा हुआ उस समय वादी के माता के साथ वादिया के मामा हीरादास पिता गंगादास बैरागी निवासी मण्डाफेया तहसील भदेसर वादी की माता के साथ रहते थे और वादी की माता व उसके मामा ने उसकी परवरिश कर बड़ा किया। इस प्रकार स्व0 देवीदास पिता नवलदास बेरागी का वादी एक मात्र पुत्र है। और एक मात्र उत्तराधिकारी है। बाद में वादी बड़ा हुआ और अपनी आराजीयात पर काश्त करता आ रहा है। वादी अपंग है और बैठ कर चलता है, और पढ़ा लिखा हुआ नहीं हे। और बाद में हिरादास जी की मृत्यु हो गई प्रतिवादी सं 1 व 2 हिरादास जी के पुत्र और प्रतिवादी सं0 3 हिरादास के पौत्र है।

3. यह कि अभी हाल ही में प्रतिवादीगण वाके मौजा सूरजपुरा की आराजी नं0 152 एवं 167/2 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि की दिगर व्यक्तियों को विक्रय करने लगे तो वादी को इस बात की जानकारी हुई की उसकी नाबालिग अवस्था का और उसकी अनपढ़ता का नाजाईज फायदा उठाते हुए हिरादास जी ने राजस्व अभिलेखों में देवीदास जी का पुत्र बताते हुए अंकन करा लिया था और बाद में हीरादास के मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण ने अपने नाम अंकन करा लिया।

4. यह कि वादी के पिता देवीदास पिता नवलदास ग्राम सूरजपुरा में ठाकुरजी की पूजा करते थे इसलिए उसके मामा हीरादास जी वादी के पिता देवीदास ओर वादी की ओर से मंदिर में सेवा करते थे इसलिए आराजी नं0 152 व 167/2 अपने नाम करा ली थी। जबकि कब्जा बदस्तुर वादी का व हिरादास का आ0नं0 152 व 167/2 पर चला आ रहा है और खातां सं0 26 की आराजीयात पर अकेले वादी का कब्जा चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चितौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

5. यह कि राजस्व अभिलेखों में गोविंददास का नाम लिखा है। उसकी मृत्यु हो चुकी है और नर्बदा बेवा घासीदास की मृत्यु हो चुकी है। आ0नं0 152 व आ0नं0 167/2 में वादी का 1/2 हिस्सा है और इस पर वादी ने अपना नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादीगण से कहा तो वे इन्कार हो गये और वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा हुए तब वादी ने पटवारी से सम्पर्क किया तो जानकारी हुई इसलिए वादी को यह वाद मजबूरन होकर पेश करना पड रहा है। खातौनी नं.0 26 की आराजीयात अकेले वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है और प्रतिवादीगण का खतौनी सं0 26 की आराजीयात में कोई स्वत्व अधिकार नहीं है इसलिए वादी इनका नाम हटाने का अधिकारी है।

6. यह कि खतौनी सं0 25 की भूमि वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती है ओर उस पर शामलाती कब्जा है जब से यह जमीन मिली है तब से वादी व हीरादास की शामलाती चली आ रही थी। ऐसी सूरत में वादी इस भूमि की घोषणा 1/2 हिस्से की कराने का अधिकारी है और इसका बंटवाडा पूर्व बंटवाडा अनुसार कराने का अधिकारी है इसलिए तहसीलदार सा0 भदेसर को प्रोफोर्मा प्रतिवादी बनाया गया है।

7. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु और बंटवारा कराने हेतु कहा तो इन्कार हो गये इसलिए मजबूरन यह वाद पेश करना पड रहा है।

8. यह कि वाद कारण दिनांक 27.10.2004 को जब प्रतिवादीगण ने मौके पर झगडा किया और वादी को बेदखल करने का असफल प्रयास किया से उत्पन्न होकर यह वाद अन्दर अवधि पेश है ।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जावे

क–यह घोषित किया जाते कि वाद पत्र की चरण सख्या 1 में वर्णित खतौनी संख्या 25 की आराजीयात आराजी नम्बर 152 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व आराजी नम्बर 167/2 रकबा 3 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की है और इसमें वादी का 1/2 हिस्सा हे और इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कराने का वादी अधिकारी है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

ख– वादी ओर प्रतिवादीगण के मध्य आराजी नम्बर 152 व आराजी नम्बर 167/2 का बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराया जावे और कागजात पटवार में वादी का 1/2 हिस्सा अलग कराया जावे व लगान फाटनी की जावे ।

ग – खतौनी संख्या 26 आराजी नम्बर 130/1, 130/2, 131, 133, 134, 155, 156, 159 कुल किता–8 कुल रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा अकेले वादी की खातेदारी कब्जे की है प्रतिवादीगण का इसमें कोई स्वत्व अधिकार नहीं गलत तरीके से उनका नाम दज हो गया हे इसलिए प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे ऐसी घोषणा कराने का वादी अधिकारी" ।

घ– यह कि प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराई जावे कि विवादित भूमि में वादी को जबरन बेदखल नहीं करें न करावें और वादी को शांतिपूर्वक तरीके से काबिज रहने देवें और वादी के शांतिपूर्वक अधिपत्य में किसी प्रकार से मदाखलत मजाहमत नहीं करें न करावें ।

ड.–यह कि खर्चा मुकदमा वादी का प्रतिवादीगण से दिलाया जावे एवं अन्य सहायता जो वादी के हित में न्यायोचित हो वह दिलाई जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया बरोज पेशी प्रतिवादीगण की ओर से वाद का खण्डन करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया गया कि :–

1. वाद पत्र में वर्णित आराजीयात मौजा सूरजपुरा में स्थित होना स्वीकार है ।
2. वाद की कलम नम्बर 2 अस्वीकार है सही तो यह है कि देवीदास के स्वर्गवास होने के बाद देवीदास के गोदी पुत्र की हैसियत से हीरादास वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजीयात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहा था तथा हीरादास के स्वर्गवास होने बाद प्रतिवादीगण काबिज काश्त है ।
3. वाद की कलम संख्या 3 अस्वीकार है ।
4. वाद की कलम नम्बर 4 अस्वीकार है वाद पत्र की कलम नम्बर 3 व 4 में अंकित आराजीयात का कभी भी कब्जा वादी का नहीं रहा है ना ही वादी देवीदास जी का जायन्दा पुत्र है वादी की माता के जाति समाज के अनुसार नाता विवाह केसरखेडी में किया तथा केसरखेडी की जायदाद पर ही वादी का हक व हिस्सा निहित है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

5. यह कि वाद पत्र की कलम नम्बर 5 अस्वीकार है ।

6. यह कि वाद पत्र की कलम 6 अस्वीकार है वादी विवादित आराजीयात में हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

7. यह की वाद पत्र की कलम नम्बर 7 अस्वीकार है ।

8. यह कि वाद पत्र की कलम 8 अस्वीकार है विवादित दिनांक को कोई वादकारण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उत्पन्न नहीं हुआ है ।

9. कलम संख्या 9 व 10 कानूनी है ।

10. कलम नम्बर 11की उप चरण क ख ग घ ड. अस्वीकार है वादी किसी भी प्रकार से कोई कूननी सहायता न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

विशेष कथन :– यह कि वादी के विवादी आराजीयात पर कब्जे व खातेदारी शुदा अन्य व्यक्तियों को प्रतिबादीगण या वादीगण नहीं बनाये है जिसमें वादी का वाद चलने योग्य नही हे ।

प्रस्तुत वाद एवं जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई ।

1. आया वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजयीात वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की है और उसमें वादी का 1/2 हिस्सा घोषित कराकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने का अधिकारी हे ।

..... जिम्मे वादी

2. आया वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात मे वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है ।

..... जिम्मे वादी

3. आया वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का कोई भी इक हिस्सा नहीं होने से कोर्ट में किसी प्रकार प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

..... जिम्मे प्रतिवादीगण

4. अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

वाद के समर्थन में वादीगण की ओर निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. खसरा महकमा बन्दोबस्त जागीरात उदयपुर (मेवाड) संवत् 1991 प्रदर्श–1
2. बयान गवाह शपथ पत्र नारायणदास पिता देवराम दास वैरागी निवासी सूरजपुरा पी. डब्लू–1
3. बयान गवाह शपथ पत्र गेहरीलाल पिता गंगाराम जाट निवासी सूरजपुरा पी.डब्लू–2
4. बयान गवाह शपथ पत्र दयाराम पिता रामा जाट निवासी कांकरवा खेडा सूरजपुरा पी. डब्लू–3
5. फोटो प्रति निर्णय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा अपील प्रकरण संख्या 32/2004 दिनांक 4.6.2007 ना0क0 संख्या 81 दिनांक 10.12.04 खारीज किये जाने के संदर्भ में
6. नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1 मौजा सूरजपुरा संवत् 2010 से 2013
7. नकल जमाबन्दी खाता संख्या 26 मौजा सूरजपुरा संवत् 2058 से 2061
8. नकल जमाबन्दी खाता संख्या 25 मौजा सूरजपुरा संवत् 2058 से 2061

प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा के समर्थन में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये ।

1. बयान गवाह शपथ पत्र भगवानदास पिता हीरादास वैष्णव निवासी सूरजपुरा डी.डब्लू–1
2. बयान गवाह शपथ पत्र भेरूदास दास पिता गोपीदास दास वैरागी निवासी मण्डफिया डी.डब्लू–2

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

वकील वादी कथन करते है विवादित आराजीयात वादी नारायणदास के पिता देवीदास की है जबकि विपक्षीगण के पिता हीरादास वादी का मामा है जिनके पिता का नाम गंगादास है जिन्होनें राजस्व कर्मियों से मिली भगत कर वादी के पिता की जमीन अपने नाम करा दी है जो प्रस्तुत दस्तावेजों एवं गवाहों के बयानों से साबित करा है । हीरादास ने वादी के पिता देवीदास का गोदीपुत्र बताकर जमीन गलत तरीके से अपने नाम करा ली है जबकि वादी देवीदस का जाइन्दा एक मात्र पुत्र जिवित है तो जीजा (देवीदास) अपने साले (हीरादास) को

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

कैसे गोद रख सकता है इसका न तो कोई साक्ष्य सबूत है न कोई सामाजिक रीति रिवाज रस्म का निष्पादन हुआ है केवल मात्र मौखिक कथन करके गलत तरीके से ना0क0 संख्या 81 दिनांक 10.06.2007 को अपने नाम निर्णीत करा लिया गया है जिसकी अपील वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण संख्या 32/2004 पर पंजिबद्ध होकर वादी के पक्ष में दिनांक 04.06.2007 को निर्णीत हुई जिसमें भी हीरादास को देवीदास का पुत्र नहीं माना गया हे तथा उक्त नामान्तरण को खारीज किया गया । उक्त अपील निर्णय की अपील भी प्रतिवादीगण द्वारा कहीं नहीं की गई है । हीरादास की मृत्यु हो चुकी हे उनके मरने के बाद विवादित आराजीयात उनके वारीसान प्रतिवादीगण के नाम आ चुकी है अतः वाद डिक्री फरमाया जावे तथा वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु वाद डिक्री फरमाया जावे ।

खण्डन में लायक अधिवक्ता प्रतिवादी कथन करते है कि – विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा नहीं है । वादी की माता का नाम मोतिया है जो देवीदास की मृत्यु हो जाने नाते से गांव केसरखेडी में उदयराम दास के नाते चली गयी थी तथा वहीं पर वादी नारायणदास का जन्म हुआ है इसलिए वादी का बाई बर्थ राईट उदयरामदास की सम्पत्ति में हक हिस्सा है सूरजपुरा (मण्डफिया) की जमीनों में कोई हक अधिकार नहीं है देवीदास के मरने के जमीन हीरादास के नाम पर विधिवत तरीके से आई हे तथा हीरादास के मरने के बाद उनके वारीस प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज हुई है और आज भी दर्ज हे जिससे वादी का कोई सरोकार नहीं है । वादी ने अपने वाद मे सहखातेदारान् को पक्षकारों संयोजित नहीं किया है पक्षकरों के असंयोजन के कारण दावा चलने योग्य नहीं तथा कुछ आराजीयात जरिये पंजिकृत दस्तावेज विक्रय भी हो चुकी है जिनको वादी पहले खारीज करा ले तब तक घोषणा का वाद नहीं ला सकते है । यदि वादी का हक हिस्सा था तो उन्हें बालिग होते ही वाद प्रस्तुत करना चाहिए था उक्त तथ्यों की रोशनी में वाद सव्यय खारीज फरमाया जावे ।

रिबीटल में वकील वादी कथन करते है कि मूलतः विवाद वादी नारायणदास के पिता देवीदास की सम्पत्ति का हैं जो हीरादास के प्राकृतिक पिता नहीं थे बल्कि जीजा थे तथा वादी की माता मोतिया बाई देवीदास के मरने के बाद नाते से गई तब वादी उनके गर्भ में था तथा देवीदास के नुफ्ते से ही पैदा हुआ है और अपने मामा हीरादास के साथ ही

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

सूरजपुरा(मण्डफिया) में पला बडा हुआ है केसरखेडी कभी गया ही नहीं न ही केसरखेडी में उदयरामदास की सम्पत्ति मे उनका कहीं हक हिस्सा कायम नहीं है । उदयरामदास की एक पुत्री सोहनी है वह सम्पत्ति उसी के नाम पर होगी । वादी दावा इसी बात को लेकर आया है दावा हक हकूक पेन्डेन्सी का है तथा राजस्व रेकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाली का है जब प्रतिवादीगण द्वारा जमीन विक्रय कर दी है तो कब्जा कैसे है । जिन्होने जमीने क्रय की उन्हें पक्षकार बनाने की प्रतिवादीगण ने कभी कोशिश नहीं की गई है । तथा अन्य खातेदारान को सेक्शन 52 के तहत पक्षकार संयोजन करना आवश्यक नहीं है ।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे तथा वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज फरमाया जावे ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया । तनकीवार निष्कर्ष इस प्रकार है ।

<u>तनकी नम्बर –1</u>

आया वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की है और उसमें वादी का 1/2 हिस्सा घोषित कराकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने का अधिकारी हे । इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है । प्रदर्श–1 अनुसार मौजा सूरजपुरा की खतौनी संख्या 26 आराजी नम्बर 130/1, 130/2, 131, 133, 134, 155, 156, 159 कुल किता–8 कुल रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा भूमि देवीदास पिता नोलदास के नाम खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है । पी0डब्लू–1 वादी स्वंय अपने बयानों में कथन करता है देवीदास जो उनके पिता थे शान्त हो चुके है देवीदास की पत्नी मोतिया बाई जो नारायणदास की माता है अपने भाई हीरादास जो वादी के मामा है के साथ ग्राम सूरजपुरा में ही रही थी तथा दो साल बाद केसरखेडी में नाते गई थी वादी सूरजपुरा में ही अपने मामा के पास रहा तथा वहीं पला व बडा हुआ है । पी–डब्लू 2 महावीलाल अपने बयानों में कहता है विवादित आराजीयात पर वादी का ही कब्जा है तथा उसका जन्म भी सूरजपुरा में देवीदास के मरने के 5 माह बाद हुआ तथा डी.डब्लू 1 भगवानदास स्वयं प्रतिवादी अपने बयानों की जिरह में स्वीकार करते है नारायण के पिता का नाम देवीदास है मोतिया और हीरादास दोनो सगे भाई बहिन हे नारायणदास को उदयदास का

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

पुत्र लिखाया वो गलत है । देवीदास की पगडी नारायणदास के ही बांधी गई । इस प्रकार वादी ने इस तनकी को साबित कराया है कि वादी नारायणदास देवीदास का ही जायन्दा पुत्र है तथा देवीदास के नाम अंकित सम्पत्ति मौजा सूरजपुरा की खतौनी संख्या 26 आराजी नम्बर 130/1, 130/2, 131, 133, 134, 155, 156, 159 कुल किता–8 कुल रकबा 18 बीघा 8 दिस्वा में उसका बाई बर्थ राईट है जो सम्पूर्ण उनके नाम खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए । खातः संख्या 25 में अंकित आराजी नम्बर 152 व आराजी नम्बर 167/2 के संदर्भ में कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं होने से इन आराजीयात का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है अतः तनकी आंशिक रूप से बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है ।

तनकी नम्बर :– 2

आया वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात मे वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है । चूंकि तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में निर्णीत है । विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिसे खुर्दबुर्द होने का अंदेशा होने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित होना स्वभाविक है यदि प्रतिवादीगण द्वारा आराजीयात को दिगर स्ट्रेन्जर परसन को विक्रय कर दिया जाता है तो विवाद वृद्वि होगी । इस कारण सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष है अतः वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने अधिकारी पाये जाते है । अतः तनकी संख्या 2 को वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है ।

तनकी नम्बर :– 3

आया वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का कोई भी हक हिस्सा नहीं होने से कोर्ट में किसी प्रकार प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर है । वादी ने अपनी बहस में कथन ना0क0 संख्या 81 दिनांक 10.06.2007 को हीरादास द्वारा अपने नाम निर्णीत करा लिया गया है जिसकी अपील वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण संख्या 32/2004 पर पंजिबद्व होकर वादी(अपीलार्थी–नारायणदास) के पक्ष में दिनांक 04.06.2007 को निर्णीत हुई जिसमें भी हीरादास को देवीदास का पुत्र नहीं माना गया है तथा उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by TapScanner

नामान्तरण को खारीज किया गया । उक्त अपील के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर में हुई जिसके प्रकरण संख्या 73/2007 अपील एल. आर0एक्ट/निम्बाहेडा निर्णय दिनांक 22.02.2008 उनवान भगवानदास वगैर बनाम नारायण दास वगैर में भी उल्लेखित किया गया है कि आलौच्य ना0क0 संख्या 81 ग्राम सूरजपुरा को को विवादित करार दिया गया है जिसमें अपीलार्थीगण 1 से 3 (भगवानदास, मगनदास , सुरे दास) प्र नगत भूमि का आगे बेचान व रहन नहीं करेंगें । जिसमें उल्लेखीत किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा में विचाराधीन नियमित वाद का अंतिम निर्णय ही पक्षकारों के अधिकारों को स्थायी रूप से तय करेगा । जो कि यह हस्तगत वाद संख्या (उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के वाद संख्या 270/2004 जो कि क्षेत्राधिकार हस्तानान्तरण से उपखण्ड अधिकारी भदेसर के वाद संख्या 40/2010) है ।

सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 में प्रतिपादित किया गया है कि सम्पत्ति से संबंधित मुकदमें का हस्तान्तरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन रहने रहते ऐसा हस्तान्तरण वाद की कार्यवाही जो संप्रदायगत नहीं है और जिसमे अचल सम्पत्ति का कोइ भी अधिकार सीधे और विशेष रूप से प्रश्न में सम्पत्ति को किसी भी पाटी द्वारा सूट को हस्तान्तरित या अन्यथा निपटाया नहीं जा सकता है या किसी भी डिक्री या आदेश के तहत किसी भी अन्य पार्टी के अधिकारों को प्रभावित करने के लिए आगे बढना ताकि न्यायालय के अधिकार के और इस तरह के रूप में लागू हो सकता है । किसी मुकदमें या कार्यवाही की पेंडेंसी को वाद की प्रस्तुति की तारीख से शुरू करने और तब तक जारी रखने के लिए समझा जाएगा जब तक कि मुकदमा या कार्यवाही अंतिम निर्णय द्वारा निपट नहीं गई या इस तरह के फरमान या आदेश की पूर्ण संतुष्ठी या निर्वहन प्राप्त किया गया है या किसी कानून द्वारा लागू होने वाले समय के लिए सीमा के किसी भी अवधि की समाप्ति के समय तक लागू होने की वजह से अप्राप्य हो गया है या किसी भी कानून के अमल में लाने के लिए निर्धारित सीमा के किसी भी अवधि की समाप्ति के कारण अप्राप्य हो गया हे या किसी भी कानून के अमल में लाने के लिए किसी भी कानून द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने के कारण अप्राप्य हो गया है । हस्तगत प्रकरण में उक्त नियम पूर्णतया चरण होता है कि जहां प्र नगत भूमि में वादी का हक निहित था को वंचित करने के उद्देश्य चुमाईशी तौर पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner

प्रतिवादीगण द्वारा बेचात किया गया जो वादी के हितो के मुकाबले शून्य प्रभावी माना जावेगा प्रतिवादी ने इस तनकी को साबित कराने में ऐसा कोई ठोस कारण , साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि वादी नारायण –देवीदास का जाईन्दा पुत्र नहीं हो या हीरादास –देवीदास का विधिक वारिस पुत्र हो । प्रारम्भ से हीरादास ने देवीदास की सम्पत्ति को गलत रूप से अपने आप को देवीदास का पुत्र वारिस बताकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम लगवा लिया है यह कृत्य स्वच्छ हस्तों से कराये गये कार्य को परिभाषित नहीं करता है । हीरादास के मरने के पश्चात् प्रतिवादीगण के नाम विरासतन के इन्तकाल खुलने से उनके नाम राजस्व प्रकिया की अनुपालना के तहत खुले है वह भी दूषित प्रकिया के माध्यम वास्तविक तथ्यों को छिपाकर पारीत / निर्णीत कराये गये । डी.डब्लू 2 गवाह भेरूदास जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का जीजा है वह अपने बयानों की जिरह में स्वीकार करते है कि उदयराम दास की पुत्री का नाम सोहनी बाई है और नारायणदास के पिता का नाम देवीदास है । इस प्रकार यह गवाह स्वतन्त्र साक्ष्यी नहीं होते हुए भी सही कथन कर रहें है । इस तनकी से संबंधित अन्य उजर का निस्तारण तनकी संख्या 1 में विस्तृत रूप से किया जा चुका है अतः प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित कराने में असफल रहने तनकी संख्या 3 का निर्णय विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाकर वादी के पक्ष में तय की जाती है ।

अनुतोष :–

वादी ने अपने जिम्मे की तनकी नम्बर 1 आंशिक एवं तनकी न0 2 बखूबी साबित कराई है प्रतिवादीगण अपने जिम्मे की तनकी 3 को साबित कराने में असफल रहें है । अतः विवादित आराजीयात मे से वादी जो जमीन देवीदास के खाते में दर्ज थी वह सभी आराजी एकल रूप से नारायणदास के वारिसान अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराये जाने के अधिकारी पाये जाते है ।

:: आदेश ::

न्यायालय के समक्ष संशोधित डिक्री का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत निपटारे के लिये पेश होने पर बाद वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा सूरजपुरा की खतौनी संख्या 26 की साबिक आराजी नम्बर 130 / 1, 130 / 2, 131, 133, 134, 155, 156, 159 कुल किता–8 कुल रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा जिसके वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:53:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by TapScanner

आराजी नम्बर जो भू नवीन भू प्रबन्ध लागू होने के बाद प्रभावी हुए है वादी नारायणदास के वारिसान् के खातेदारी की घोषित की जाती है तथा वर्तमान खातेदारान् का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है । एवं खाता संख्या 25 की आराजी संख्या 152 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा व आराजी संख्या 167/2 रकबा 3 बीघा कुल किता –2 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा में वादी को 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार घोषित किया जाता है शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के रहेगी । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है उक्त आराजीयात को वादीगण के खातेदारी में दर्ज होने तक अन्य किसी को रहन बय बक्षीस नहीं करें वादीगण को जबरन उक्त आराजीयात से बेदखल नहीं करें न करावें वादीगण को उक्त आराजीयात पर काबिज रहने दे अन्य आराजीयात के संबंध में चाही गई धारा 53 विभाजन की वाद खारीज की जाती है ।

इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुलनामा अलग से जारी हो ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner